(12)

न्यायालय माननीय राजस्वमण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 1702-II/२००५ निगरानी

श्री .... प्रस्तुत।
द्वारा आज दि० 7-10-05
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
7 OCT 2005

अरविन्दकुमार पुत्र श्री हरप्रसाद नाबालिग व सरपरस्त मां अंना, निवासिन ग्राम वमनकापुरा, तहसील जौरा, जिला मुरैना म०प्र० -- प्रार्थी

विरूद्ध

अशोककुमार पुत्र श्री पतिराम, निवासी ग्राम ...., तहसील खैरागढ़, जिला आगरा, उत्तरप्रदेश -- प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरूद्ध आदेश अपरआयुक्त महोदय, चम्बल संभाग, मुरैना दिनांक २५-०८-२००५ अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता, १९५९ । प्रकरण क्रमांक १८५।९४-९५ अपील ।

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि अपर आयुक्त महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

(२) यहकि अपर आयुक्त महोदय ने इस माननीय न्यायालय के रिमान्ड आदेश का समुचित पालन नहीं किया ।

(३) यहकि तहसील न्यायालय में साक्ष्य पर विचार कर प्रार्थी के हित में हुई वसीयत को सिद्ध माना है । मूल वसीयत प्रस्तुत नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रारम्भिक न्यायालय से लेकर राजस्व मण्डल तक नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जाने के पश्चात नवीन आपत्ति न तो की जा सकती है और ना ही ऐसी आपत्ति सुनी जा सकती है ।

(४) यहकि अपर आयुक्त महोदय का विवादित आदेश नवीन आपत्ति पर आधारित होने के कारण निरस्ती योग्य है

R 1702 - II/05

8.2.16

प्रपत्र

आवेदक की ओर से
अधि. श्री [illegible] [illegible] उपस्थित।
[illegible] [illegible] [illegible] पेश
आवेदक द्वारा [illegible] [illegible]
आवेदक को [illegible] [illegible] [illegible]
निर्देश [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
को [illegible] [illegible] [illegible] परन्तु
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
प्रकरण [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] हो। [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] पश्चात [illegible] हो।

[signature]
[illegible]

[signature]

R